झाँसी पुलिस

प्रेस नोट

थाना-मोंठ, जनपद झाँसी

दिनांक- 16.11.2026

थाना मोंठ पुलिस द्वारा पशु चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी गई पडिया को बेचने से प्राप्त शेष 6,000/- रुपये नगद बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार, झाँसी में निरुद्ध कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.09.2026 को वादी श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र चिन्तामन निवासी ग्राम खिरियाघाट, थाना-मोठ, जिला-झाँसी द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि दिनांक 17.09.2026 की रात्रि में मोठ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खिरियाघाट निवासी वादी की एक पडिया (उम्र करीब 01 वर्ष) अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी। उक्त प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 168/2026 धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण के अनावरण, अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं चोरी गई पडिया की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री विकास कुमार के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ श्री अरविन्द कुमार एवं क्षेत्राधिकारी मोंठ श्री सुनील कुमार शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मोंठ श्री धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में गठित पुलिस टीम द्वारा पतारसी-सुरागरसी एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 15.11.2026 को रात्रि करीब 23:59 बजे **अभियुक्त जावेद कसाई पुत्र जाफर नवाब निवासी कसाई मोहल्ला, मदारगंज, थाना मोठ, जनपद झाँसी, उम्र करीब 25 वर्ष** को ग्राम कुम्हरार के पास, थाना मोठ क्षेत्रान्तर्गत से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से चोरी गई पडिया को बेचने से प्राप्त धनराशि में से शेष बचे 6,000/- रुपये नगद बरामद किए गए। पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से प्राप्त आदेश के अनुपालन में उसे जिला कारागार, झाँसी में निरुद्ध कराया गया।

अभियुक्त का विवरणः-

1. जावेद कसाई पुत्र जाफर नवाब निवासी कसाई मोहल्ला, मदारगंज, थाना मोठ, जनपद झाँसी, उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 6,000/- रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 श्री दिनेशचन्द्र थाना-मोठ,
2. उ0नि0 श्री रजनीकांत सिंह थाना-मोठ,
3. का0 337 राहुल सिंह थाना-मोठ।